# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण सख्या– 35/2020 निर्णय दिनाक –23.06.2020

भवरलाल पिता नारायणलाल जटिया आयु वयस्क निवासी गुडली तह0 छोटीसादडी प्रतापगढ राज0 ।

–प्रार्थी

//बनाम//

1. कवरलाल पिता मांगीलाल जाति रावत आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. कैलाश दास पिता रतनदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी बरवाडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. रामदास पिता रतनदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी बरवाडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
4. भवरदास पिता रतनदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी बरवाडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

–विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट**

**आदेश**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बेनपुरी खुर्द पटवार हल्का भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 38 की आराजी न0 314/300 रकबा 0.3800 हेक्टेयर, तथा खाता सख्या 27 की आराजी न0 300 रकबा 0.3800 हैक्टैयर, भूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी है। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड मे प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नही होने की स्थिति मे, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा बेनपुरी खुर्द पटवार हल्का भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा मे खाता सख्या 38 की आराजी न0 314/300 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, तथा खाता सख्या 27 की आराजी न0 300 रकबा 0.3800 हैक्टैयर, भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे मे दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस मे पेश करे।

आज दिनाक 23.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with Cam

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.04 16:13:41 IST
Reason: SelfAttested